न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3966–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार प्रकरण कमांक 47/अपील/2011–12

.....

सुधीरदास पिता श्री रत्नाकर पीटरदास
निवासी सेंट टेरेसा स्कूल बख्तावर मार्ग,
धार म0प्र0
स्व.ई.पी.दास पति स्व.डॉ.रत्नाकर पीटर दास के वारिस व विधिक प्रतिनिधि
..... आवेदक

विरूद्ध

जे.पी.नेल्सन पिता श्री अलफ्रेड नेल्सन
निवासी 71 पदमावती कालोनी,
सेंटपाल हा.से.स्कूल के पीछे,
इंदौर म0प्र0

..... अनावेदक

– – –

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मगजपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 29/1, 29/2 रकबा 0.074, 2.549 हेक्टैयर आवेदक के निजी स्वामित्व की है। उक्त भूमि पर स्कूल बगीचा खेल मैदान मकान आदि का निर्माण है, जिस पर

अनावेदक ने अपना नामान्तरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन किया एवं दिनांक 13–5–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । आवेदक द्वारा तहसीलदार धार के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 24/अ–6/2010–11 में पारित आदेश 13–05–2011 से असंतुष्ट होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 47/2011–12 दर्ज कर दिनांक 18–11–2014 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के तहत प्रस्तुत आवेदन में उठाये गये बिन्दु की जॉच नायब तहसीलदार से कराये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों को ही अपनी बहस बताया है। निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील व्यक्तिगत केपेसिटी में की गई थी, इसलिये उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिस के रूप में किसी अन्य को संयोजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि श्रीमती ई.पी.दास के पुत्र व वारिस को ही अपील संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकती है अन्य को नहीं ।

(2) जिस व्यक्ति का प्रश्नाधीन संपत्ति पर दावे को सिविल कोर्ट द्वारा नहीं माना गया है, उसका नाम खसरे में नामान्तरण के लिये समर्थ नहीं माना जा सकता है। खसरा इंद्राज के आधार पर ही स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है, व्यवहार वाद स्वामित्व के संबंध में सक्षम न्यायालय है ।

(3) अपंजीकृत दस्तावेज की फोटोकॉपी मात्र के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता । नामान्तरण के आदेश दिये जाने के लिये वैध आधार केवल स्वत्व का

अर्जन है, ऐसा आवेदन जो स्वत्व पर आधारित नहीं हो, नामान्तरण के लिये वैध आधार नहीं माना जा सकता । नामान्तरण चाहने वाले व्यक्ति को अपना स्वत्व सिद्ध करना अनिवार्य है । तहसील न्यायालय धार द्वारा किया गया नामान्तरण संहिता की धारा 109 व 110 के प्रावधान के विपरीत है । तहसील न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तथ्य को अनदेखा किया गया है ।

(4) तहसीलदार धार को प्रश्नाधीन नामान्तरण करने के पूर्व स्थानीय जॉच कर लेना चाहिये थी कि कही पूर्व के तहसीलदार ने इसी संस्था के पक्ष में नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत व खारिज तो नहीं कर दिया । यदि प्रश्नाधीन नामान्तरण करने के पूर्व तहसीलदार धार पूर्व में तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2007 को पारित आदेश का अवलोकन कर लेते तो यह स्पष्ट हो जाता कि इंडियन प्रेस बिटेरियन मिशन का आवेदन पूर्व में ही खारिज हो चुका है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष स्थितियॉ स्पष्ट हो जाती ।

(5) तहसीलदार को नामान्तरण करने के पूर्व अधिकार अर्जन के संबंध में पटवारी व राजस्व निरीक्षक से व्यवहार न्यायालयों के आदेश के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बुलवाना चाहिये थी ताकि व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न निर्णय जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये गये, की जानकारी प्राप्त हो जाती, ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(6) तहसीलदार को किसी व्यक्ति को भूमिस्वमी के रूप में घोषित और उस हैसियत से उसका नामान्तरण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी धार का आदेश दिनांक 18–11–2014 वैधानिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि अपील में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदक का आवेदन मंजूर कर आवेदक की माता की मृत्यु होने से आवेदक का नाम अंकित करना था, जो नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी को अपील कोर्ट के रूप में अधीनस्थ न्यायालय की अनियमितता को उपलब्ध रिकार्ड के आधार

पर जॉच करने का अधिकार था न कि आवेदक की माता की मृत्यु होने पर बजाय आवेदक का नाम अंकित करने के विषय पर नायब तहसीलदार को जॉच करने के लिये आदेशित करने का, ऐसा कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदक का नाम अंकित किया जाये ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । 1986 आर.एन. 1 सौदानसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकारी प्राप्त है । राजस्व मण्डल विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेशों पर विचार किया जा रहा है । तहसीलदार धार के समक्ष इण्डियन, केनेडियम, प्रेस बेटेरियन मिशन तर्फे माडरेटर, सालामन स्मिथ पिता श्री एफ. मसीह निवासी 73/1, बालाजी अपार्टमेंट ग्रेटर तिरूपति कॉलोनी इंदौर कार्यालय 108 उर्वशी कॉम्प्लेक्स, जाबरा कम्पाउण्ड, इंदौर के द्वारा आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि इण्डियन, केनेडियम मिशन की मालिकी भूमिस्वामी स्वत्व व कब्जे की भूमि ग्राम मगजपुरा (धार) में सर्वे कमांक 29/1 रकबा 0.074 हेक्टेयर परिवर्तित तथा सर्वे कमांक 29/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें पूर्व में व्यवस्थापक बतौर मार्गरेट, औहरा का नाम अंकित है, जिसकी मृत्यु के पश्चात् बतौर डॉक्टर रत्नाकर पीटरदास का नाम दर्ज हुआ । पीटरदास की मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थी सोलोमन स्मिथ, वर्तमान इण्डियन केनेडियम प्रेस बेटेरियन मिशन का माडरेटर है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम माडरेटर के रूप में चढ़ाया जाये । उक्त कार्यवाही की सूचना रत्नाकर पीटरदास को प्राप्त हुई, तो उन्होंने एक आवेदन पत्र दिनांक

23–8–07 को प्रस्तुत किया कि आपत्तिकर्ता को आवेदन एवं प्रपत्रों की नकल नहीं मिली है एवं न्यायालय की फाईल देखने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, इसलिये आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं है है। इसके अलावा एक आवेदन पत्र दिनांक 30–8–2007 को प्रस्तुत किया गया था कि विवादित भूमि के संबंध में दीवानी कोर्ट में फैसले हो चुके हैं । दीवानी कोर्ट में 25 साल मुकदमा चलकर जिला कोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय तक फैसले हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से भी कायम रहे हैं । ऐसी स्थिति में तहसील में फर्जी कार्यवाही करके हक स्थापित करने का झूठा प्रश्न प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है । इस संबंध में अंतिम आदेश दिनांक 31–8–07 को पारित किया गया तथा प्रार्थी इण्डियन केनेडियम प्रेस बेटेरियन मिशन का माडरेटर का आवेदन पत्र खारिज किया गया । उक्त आदेश को अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती थी । संहिता की धारा 115, 116 के माध्यम से उक्त प्रविष्टी को नहीं बदला जा सकता लेकिन उक्त आदेश के रहते हुये पुनः एक नया आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 एवं 32 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मिशनरी के समस्त कार्यो की देखरेख के लिये प्रार्थी जे0पी0नेलशन माडरेटर/चेयरमेन नियुक्त किया है व समस्त अधिकार दिये गये हैं, इसलिये ग्राम मगजपुरा भूमि सर्वे कमांक 29/1, 29/2 पे.सर्वे कमांक 29/2 पें. रकवा कमशः 0.074, 2.549, 0.451 पर संचालन डॉ.ई.पी.दास बेवा डॉ. रत्नाकर पीटरदास का नाम कम किया जाकर माडरेटर जे0पी0 नेलशन पिता अल्फेड नेलशन का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का विधिवत् अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्ध उक्त आवेदन को सुनवाई में ग्रहण कर डॉ. ई.पी. दास बेवा डॉ. रत्नाकर पीटरदास का नाम राजस्व अभिलेखों में कम किये जाने का आदेश दिया गया । उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति के बारे में समय समय पर व्यवहार न्यायालयों के समक्ष प्रकरण चले हैं, जिनमें विभिन्न आवेदकों के आवेदन/दावे सक्षम जिला व अतिरिकत जिला न्यायाधीश के न्यायालयों से खारिज हो चुके हैं तथा उच्च न्यायालय में अपीलें भी निरस्त हो चुकी है । वैसे भी धारा 116 के अन्तर्गत केवल अशुद्ध प्रविष्टी केवल एक वर्ष के अंदर दुरूस्त करायी जा सकती है । कोई नई

प्रविष्टि नहीं की जा सकती तथा धारा 115 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता । इस आधार पर भी आवेदन पत्र धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत प्रचलन योग्य ही नहीं था । इस संबंध में 1984 आर.एन.11 के न्यायदृष्टांत पर विचार किया गया । उक्त न्यायदृष्टांत में उल्लेख किया गया है कि धारा 115 परिसीमा केवल स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है । प्रविष्टि की दुरूस्ती के लिये किसी पक्षकार के आवेदन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है । राजस्व अभिलेखों के अनुसार बी–1 खतौनी में वर्ष 1958–59 से 1984–85 तक संस्था के व्यवस्थापक डॉ. मिसहोरा रही है, उनकी मृत्यु के पश्चात् डॉ. रत्नाकर पीटर दास का नाम माडरेटर के रूप में उक्त भूमि पर दर्ज रहा है, ऐसी स्थिति में विपक्षी का आवेदन पत्र समय बाह्य भी था । अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा भी आदेश दिनांक 18–11–14 में इस बैधानिक स्थिति की अनदेखी की गई है, इसलिये उनका आदेश भी वैधानिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18–11–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी दिनांक 1–12–2014 को प्रस्तुत की गई थी और स्थगन आदेश दिनांक 8–12–14 को जारी किया गया था । उक्त स्थगन आदेश की जैसे ही जानकारी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी धार को दी गई, उनके द्वारा दिनांक 9–12–14 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया इसकी पुष्टि अभिलेख से होती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–14 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–05–2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2014 एवं 09–12–2014 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर